नई दिल्ली › शनिवार, 29 जनवरी 2022 › माघ 9 शक संवत 1943 माघ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2078

YOUNG INDIA > YOUNG PAPER

वर्ष 76, संख्या 25 › पेज 28* › नोएडा › मूल्य 3.50 या 9.00* रुपये द टाइम्स ऑफ इंडिया सहित

www.nbt.in

'प्रमोशन में कोटे से पहले राज्य जुटाएं डेटा'

देखें अंदर

नवभारत टाइम्स

NCC की रैली में पंजाबी पगड़ी में दिखे मोदी

देखें अंदर

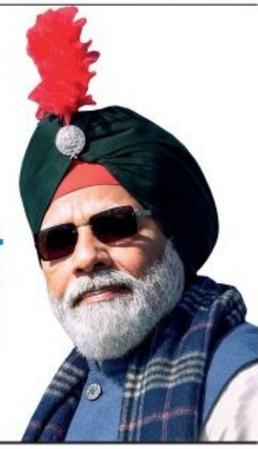

चाहिए छूट कोविड से लड़खड़ाई प्रॉपर्टी इंडस्ट्री को इस बार के बजट में कई सौगात मिलने की उम्मीद है, बिल्डर बोले

रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा दें, टैक्स छूट से और करें बूस्ट

■ **वरिष्ठ संवाददाता, नोएडा :** कोरोना महामारी के बीच लड़खड़ाए बाजार में रियल एस्टेट-2022 में वापसी की तैयारी कर रहा है। इसमें खासतौर पर आवासीय यूनिट की बिक्री फिर ऊपर जाने की उम्मीद है। बजट-2022 आने वाला है। इससे भी रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत उम्मीदें हैं। कारोबारियों व समूह निदेशकों के साथ इस सेक्टर की संस्थाओं का कहना है कि इस बार उनकी प्रमुख मांग और उम्मीद रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा दिलाने की है। साथ ही टैक्स में छूट, कच्चे माल पर लग रही जीएसटी में कटौती व अन्य हैं।

इंडस्ट्री का दर्जा मिले तो होगी यह सहूलियत

कई बड़े बिल्डर ग्रुप के प्रतिनिधियों ने कहा कि उम्मीद है कि इस बार बजट में रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा। ऐसा होने से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। इंडस्ट्री क्षेत्र में आने से टैक्सेशन की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। लोन मिलने में आसानी होगी। इंडस्ट्री होने से विभाग तय हो जाएगा। ऐसे में सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था भी बनेगी। फिर प्रॉजेक्ट में तेजी आएगी और बिल्डर कब्जा भी जल्दी दे पाएंगे।

बजट-2022

1. बजट से उम्मीदों पर बोले रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारी, टैक्स में छूट मिलने से बढ़ेगी डिमांड
2. इंडस्ट्री होने से विभाग तय होगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था भी बनेगी तो प्रॉजेक्ट में और तेजी आएगी
3. कोरोना काल के बाद हाउसिंग सेक्टर में मांग बढ़ने की उम्मीद है। हाउसिंग की लिमिट बढ़ाने की भी मांग है

होम लोन में 5 लाख तक मिले इनकम टैक्स में छूट

कारोबारियों ने कहा कि अभी होम लोन पर इंटरेस्ट के रूप में दिए गए 2 लाख रुपये तक इनकम टैक्स में छूट हासिल है। उम्मीद है कि इसे 5 लाख किया जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट पर भी कटौती का लाभ मिलता है। इसकी लिमिट भी तय है। उम्मीद यह है कि लिमिट बढ़ाकर टैक्स में छूट दी जाएगी।

"रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा मिले। पीएमवाई की सब्सिडी और उसकी समयसीमा बढ़े ताकि घर लेने वालों को ज्यादा टैक्स लाभ हो।

- सुरेश गर्ग, क्रेडाई पश्चिम यूपी, गवर्निंग काउंसिल मेंबर

"इनपुट क्रेडिट व्यवस्था को जीएसटी से वापस लें। इससे फायदा घर खरीदारों पहुंचेगा और कच्चे माल की लागत में उतार-चढ़ाव से भी राहत मिलेगी।

- अमित मोदी, प्रेजिडेंट (इलेक्ट) क्रेडाई वेस्टर्न यूपी।

"घर खरीदने वाले को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी को 2 से बढ़ाकर 5 लाख किया जाए। रियल एस्टेट को अगर उद्योग का दर्जा मिलता है तो रोजगार आएंगे।

- मनोज गौड़, सीएमडी, गौड़ समूह

"सिंगल विंडो सिस्टम के तहत तय समय में प्रॉजेक्ट अप्रूव हों ताकि प्रॉजेक्ट कॉस्ट घटे। एक सिस्टम बने जिससे स्टील और सीमेंट के दामों पर रेगुलेटरी बने।

- संदीप साहनी, चेयरमैन, इथम वर्ल्ड